पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 05.12.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 03/04.12.2024 को-

01-थाना इंदिरानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 319/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रिंकू यादव

02-थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 564/24 धारा 376/504/506 IPC व 67 IT ACT से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 तारिक

03-थाना मडियांव में पंजीकृत मु0अ0सं0 703/24 धारा 64(1)/115(2)/351(2) BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 जीशान

04-थाना मलिहाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 310/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 325 BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- वसीम 02- सूफियान

05-थाना बीकेटी में पंजीकृत विभिन्न 06 चोरी के अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त अभिनन्दन यादव गिरफ्तार।

जोन उत्तरी

थाना गाजीपुर-

दिनांक 05.12.2024 को समय करीब शाम 16.20 बजे वादी श्री अक्षय कुमार जैन पुत्र विनय कुमार जैन निवासी सेक्टर-22/184 आम्रपाली चौराहा इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी कि वादी की दुकान बाहुबली ज्वैलर्स के नाम से आम्रपाली सेक्टर 22 में संचालित है आज दिनांक 05.12.2024 को समय करीब 12.30 से 01.00 बजे के बीच में एक ग्राहक वादी की दुकान पर आया और वादी को कुछ सामान दिखाने के लिये बोला और बार-2 गल्लक पर खड़ा होके बोल रहा था ये दिखाओ वो दिखाओ वादी ने कई बार उक्त व्यक्ति को बोला कि आप बैठ जाइये हम दिखा देगें। लेकिन वो इधर-उधर करता रहा और वादी से कुछ सामान दिखाने के लिये बोलकर उसने गल्लक से सोने से भरी हुई डिब्बी निकाल ली और वह लेकर चला गया और तुरन्त बाद वादी ने गल्लक चेक किया और उसमें वो डिब्बी ना पाकर वादी ने तुरन्त उसका पीछा किया लेकिन बाहर एक आदमी स्कूटी से उसका इंतजार कर रहा था और वह उसी स्कूटी पर बैठ कर भाग गया, तथ्य अकिंत है। **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 0519/2024 अन्तर्गत धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सैरपुरः-</u>

आज दिनाँक 05/12/2024 को थाना हाजा पर आगन्तुका द्वारा आकर बताया गया कि मेरा मल्टीमीडीया मोबाइल फोन व उसमें रखे 300/- रूपया रैथा रोड़ पर कही गिर गया है। तत्काल पालीगान 177 के कर्मचारीगण का0 पंकज कुमार व का0 आशीष कुमार द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए खोये हुए मल्टिमीडिया मोबाइल की खोज कर उपरोक्त आगन्तुका को सुपुर्द किया गया। आगन्तुका द्वारा अपना खोया हुआ मोबाइल व 300/- रूपया वापस पाकर पुलिस का आभार प्रकट किया।